न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे0पी0 बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 16/2003

वादीगण :-

1. रावत पुत्र भेरा के का0मु0:-

1/1 बगदाराम पुत्र रावतराम

1/2 सुगनाई पत्नि रावतराम

जाति-कुमावत,निवासी-बिरोल

1/3 ढगलीदेवी पुत्री रावतराम

पत्नि पुनाराम,निवासी-कारोलिया

1/4 सुखीदेवी पुत्री रावतराम

पत्नि उम्मेदराम,नि0-रामावासकलां

1/5 माइकीदेवी पुत्री रावतराम

पत्नि भोमाराम,निवासी-कारोलिया

1/6 भालकीदेवी पुत्री रावतराम

पत्नि सरदारराम,नि0-रामावासकलां

1/7 उगमादेवी पुत्री रावतराम

पत्नि भीकाराम,निवासी-कारोलिया

समस्त जातियान - कुमावत

तह0-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पेमा पुत्र भेरा के का0मु0 :-

1/1 बुधा पुत्र पेमा

1/2 पुखा पुत्र पेमा

1/3 राधा पत्नि पेमा

1/4 भंवरी पुत्री पेमा

1/5 झणकारी पुत्री पेमा

2. गोपा पुत्र भेरा के क0मु0 :-

2/1 पुना पुत्र गोपा

2/2 मोहनलाल पुत्र गोपा

2/3 रतना पुत्र गोपा

2/4 गेरकी पुत्री गोपा

2/5 सुखड़ी पुत्री गोपा

2/6 चुनकी पुत्री गोपा

2/7 शांति पुत्री गोपा

2/8 सायरी पत्नि गोपा

जातियान-कुम्हार,निवासीगण-बिरोल

तह0-जैतारण (जिला-पाली)

3. तहसीलदार, जैतारण

तह0-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.21/02/2003

उपस्थितः. 1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री सुरेश चौधरी, शाकिर हुसेन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 01/02/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-बिरोल, पटवार हल्का-बिरोल, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि मय बेरा खसरा नम्बर 294 रकबा 10-03 बीघा, खसरा नम्बर 295 रकबा 3-04 बीघा, खसरा नम्बर 301 रकबा 15-06 बीघा, खसरा नम्बर 302 रकबा 4-11 बीघा, खसरा नम्बर 305 रकबा 4-08 बीघा, खसरा नम्बर 306 रकबा 3-06 बीघा, खसरा नम्बर 307 रकबा 2-01 बीघा, खसरा नम्बर 311 रकबा 1-08 बीघा, खसरा नम्बर 315 रकबा 0-08 बीघा, कुल किता-9 कुल रकबा 44-15 बीघा की आई हुई हैं तथा खसरा नम्बर 102 रकबा 7-15 बीघा एवं खसरा नम्बर 296 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 297 रकबा 0-18 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा गोरवा, कुल किता-2 कुल रकबा 0-19 बीघा की समस्त कुल किता-12 रकबा 53-09 बीघा किस्म चाही प्रथम एवं गै0मु0बेरा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तथा खसरा नम्बर 313 रकबा 0–9 बीघा किस्म गै0मु0बेरा द्रीमड़ी, खसरा नम्बर 314 रकबा 0–06 बीघा किस्म गै0मु0सड़ा, कुल किता–2 कुल रकबा 0–15 बीघा की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि के जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि दावें के साथ पेश की हैं, जो दावा का भाग माना जावें। खाता संख्या 53 की भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का भी 1/3 हिस्सा हैं तथा जमाबन्दी में इसी कदर हिस्से दर्ज हैं। वादी ने अपने स्वयं के खर्चे से कुआ खुदवाया हैं तथा बिजली का कनेक्शन ले रखा हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का शामलाती पुराना कुआ हैं। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बराबर–बराबर हिस्सा हैं, परन्तु बेरा चालू हालत में नहीं हैं। खाता संख्या 52 की भूमि खसरा नम्बर 313, 314 में रकबा 0–15 बीघा (पुण बीघा) में 1/2 हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हक व अधिकार हैं तथा रेकर्ड में भी इसी कदर हिस्सा दर्ज हैं तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का हक व हिस्सा दर्ज हैं तथा इसी कदर राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दर्ज हैं। वादी का खाता संख्या 52 की भूमि में 1/6 हिस्सा हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने का पिछले 6 माह से कह रहे हैं। परन्तु बंटवाड़ा करने में टालमटोल कर रहे हैं तथा दिनांक 16/02/2003 को बंटवाड़ा करने से कतई ईन्कार हो गये। जबकि भूमि शामलाती होने से वादी आधुनिक तरीके से काश्त करना चाहते हैं तथा अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाना चाहता हैं। इसलिए भूमि एवं लगान का बंटवाड़ा किया जाकर नेखमबन्दी व मुड्डे लगाये जावें। प्रतिवादी संख्या 6 भूमिधारी होने से बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार हैं, इसलिए पक्षकार बनाये गये हैं। प्रतिवादीगण शामलाती भूमि में नया निर्माण करना चाहते हैं, वादीगण की ओर से यह वाद बंटवाड़ा का पेश हैं। बिनायदावा दिनांक 16/02/2003 को ग्राम–बिरोल में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद में वर्णित भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस मना करने से बमुकाम–बिरोल में उत्पन्न हुआ हैं। जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं तथा वाद अब्दर म्याद में पेश किया हैं। इस प्रकार वकील मय वादीगण ने माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित उक्त भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/8 तथा 1/1 से 1/5 की ओर से दिनांक 23/10/2003 को जबाबदावा पेश किया, सामिल मिसल हो। दिनांक 14/02/2011 को तनकियात कायम की गई। राजस्व वाद पी0डब्ल्यू0–1 का तस्दीकसुदा शपथ–पत्र पेश किया, सामिल मिसल हो। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान माफिक राजस्व रेकर्ड चूँकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज जिससे माफिक रेकर्ड बंटवाड़ा किये जाने के अधिकारी होने से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। तनकीवार विवेचन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

1. आया दावा के पद संख्या 1 में वर्णित खाता नम्बर 53 की भूमि से वादी के 1/3 हिस्से की भूमि एवं लगान का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर अलग खाता खोला जावें व मौके पर मुड्ढे लगाकर नेखमबन्दी की जावें।

—— जिम्मे वादी ——

मौजा–बिरोल में खाता संख्या 53 की उक्त विवादित भूमि के माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज होने से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी होने से प्राथमिक डिक्री की जाकर बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग किया जाना व मुड़ागढ़ी / नेखमबन्दी करवाई जाना

उपखण्ड अधिकारी
बैराठ (खैरथल)

न्यायोचित हैं, जिससे तनकी संख्या 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती हैं।

2. आया खाता नम्बर 52 की भूमि वादी का 1/6 हिस्सा भूमि का बंटवाड़ा व लगान का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावें व अलग खाता स्वीकृत किया जावें।

--- जिम्मे वादी ---

मौजा-बिरोल में खाता संख्या 52 की भूमि में रावत गोपा पेमा 1/2 हिस्से में ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज होने से वादीगण 1/6 हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाये जाने व खाता व लगान अलग-अलग करवाने के अधिकारी हैं, जिससे तनकी संख्या 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती हैं।

3. आया उक्त भूमि का बंटवाड़ा पूर्व में हो चुका हैं। अब नए सिरे से बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता।

--- जिम्मे प्रतिवादी ---

वकील मय प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा पूर्व में हो जाने के कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं, जिससे कि उक्त तथ्य संपुष्ट हो सकें, लिहाजा यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय की जाती हैं।

4. आया वाद-पत्र की वर्णित भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व रावत, गोपा व पेमा का 1/3-1/3 हिस्सा हैं तथा पक्षकारान् माफिक हिस्सा मौके पर काबिज एवं काश्त करते हैं।

--- जिम्मे प्रतिवादी ---

वकील मय प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि मौके पर बंटी हुई होने से सम्बद्ध कोई लिखित / दस्तावेजी साक्ष्य सबूत न तो प्रस्तुत किए गए हैं तथा न ही पत्रावली में पेश किये जाकर रेकर्ड पर लिये गये हैं, जिससे वादी के हिस्से की सामलाती उक्त भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना लाजमी हैं। लिहाजा उक्त तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय की जाती हैं।

उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध इस वाद मे प्रस्तुत वाद-पत्र, जबाबदावा तथा प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड के आधार पर कायम की गई तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण एवं 3 व 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय होने से उक्त विवादित सामलाती कृषि भूमि का बंटवाड़ा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर माफिक राजस्व रिकॉर्ड बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-बिरोल, पटवार हल्का-बिरोल, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि मय बेरा खसरा नम्बर 294 रकबा 10-03 बीघा, खसरा नम्बर 295 रकबा 3-04 बीघा, खसरा नम्बर 301 रकबा 15-06 बीघा, खसरा नम्बर 302 रकबा 4-11 बीघा, खसरा नम्बर 305 रकबा 4-08 बीघा, खसरा नम्बर 306 रकबा 3-06 बीघा, खसरा नम्बर 307 रकबा 2-01 बीघा, खसरा नम्बर 311 रकबा 1-08 बीघा, खसरा नम्बर 315 रकबा 0-08 बीघा, कुल किता-9 कुल रकबा 44-15 बीघा की आई हुई हैं तथा खसरा नम्बर 102 रकबा 7-15 बीघा एवं खसरा नम्बर 296 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 297 रकबा 0-18 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा गोरवा, कुल किता-2 कुल रकबा 0-19 बीघा की समस्त कुल किता-12 रकबा 53-09 बीघा किस्म चाही प्रथम एवं गै0मु0बेरा तथा खसरा नम्बर 313 रकबा 0-9 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

किस्म गै0मु0बेरा ढ़ीमड़ी, खसरा नम्बर 314 रकबा 0-06 बीघा किस्म गै0मु0सड़ा, कुल किता-2 कुल रकबा 0-15 बीघा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2014/180 दिनांक 31/01/2014, 1172 दिनांक 02/12/2014, 187 दिनांक 27/03/2015 द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया गया। इसी दौरान प्रति0 संख्या 01 के कायम मुकाम द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में प्राथमिक डिक्री के निर्णय दिनांक 08/01/2014 के विरूद्ध अपील पेश की, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय को यथावत रखा। प्रति0 संख्या 01 के कायम मुकाम बुद्धा वगैरह द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 04/11/2015 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 28/10/2016 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 04/11/2015 को यथावत रखा। पत्रावली उक्त निर्णयों के साथ न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुई। इसपर पुनः पत्रांक/कोर्ट/2016/2103 दिनांक 21/11/2016 द्वारा तहसीलदार जैतारण को उक्त प्रकरण में की गई अपीलस् खारिज होने से आदेशित किया गया कि प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करें। तहसीलदार जैतारण ने अपने पत्रांक/भू.अ./2017/309 दिनांक 31/01/2017 द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। उक्त बंटवाड़ा रिपोर्ट पर ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त बंटवाड़ा रिपोर्ट पर प्रति0 संख्य 01 के कायम मुकाम बुद्धा वगैरह के अधिवक्ता द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट पर ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें जाहिर किया कि यह बंटवाड़ा रिपोर्ट तहसील में बैंठकर ही तैयार किया हैं। मौके पर कोई नहीं आया। बाद सुनवाई में तहसीलदार जैतारण को पुनः पत्रांक/कोर्ट/2017/247 दिनांक 09/03/2017 को आदेशित किया कि उभय पक्षकारों के रूबरू बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करें। इसी दौरान प्रति0 संख्या 01 के कायम मुकाम बुद्धा वगैरह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में आदेश दिनांक 08/03/2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की। जिसे माननीय न्यायालय ने यह जाहिर करते हुए कि यदि प्रार्थीगण को विभाजन प्रस्तव पर कोई आपति हैं तो वे अंतिम डिक्री जारी होने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष आपति प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हैं। निगरानी खारिज की। तहसीलदार जैतारण ने अपने पत्रांक/भू.अ./17/981 दिनांक 23/03/2017 द्वारा उभय पक्षकारान् के रूबरू बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा मय विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, जिस पर उभय पक्षकारान् के हस्ताक्षर हैं। प्रति0 संख्या 01 के कायम मुकाम बुद्धा वगैरह द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर कोई तारीख अंकित नहीं हैं व प्रति0 भंवरी व झणकारी की अनुपस्थिति में तैयार की हैं। बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा सही नहीं किया है। आवागमन हेतु सही रास्तों का अंकन नहीं किया हैं। मौके पर नही जाकर केवल मात्र ट्रेस नक्शे को ही आधार मानकर रिपोर्ट तैयार कर दी गई हैं। अधिवक्ता प्रति0 संख्या 01 के कायम मुकाम बुद्धा द्वारा प्रस्तुत ऐतराज प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर पुनः तहसीलदार जैतारण को पत्रांक/कोर्ट/2017/1208 दिनांक 24/10/2017 द्वारा आदेशित किया गया कि आप स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर उभय पक्षकारान्

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

के रूबरू विवादित आराजियात का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर कार्यालय हाजा में प्रस्तुत करें। तहसीलदार जैतारण ने अपने पत्रांक/भू.अ./2018/241 दिनांक 16/01/2018 को उक्त विवादित आराजी का दिनांक 18/12/2017 को मौके पर उभय पक्षकारान् के रूबरू बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारान् के हस्ताक्षर करवाने गये व प्रति0 संख्या 01 के कायम मुकाम बुधाराम व अन्य मौके पर उपस्थित रहने के बावजूद हस्ताक्षर करने से मना किया। बाद विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा को पेश किये। उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18/12/2017 पर अधिवक्ता प्रति0 संख्या 01 के कायम मुकाम बुद्धा वगैरह द्वारा ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तावित बंटवाड़ा रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय सुनी गई। वकील प्रति0 संख्या 01 के कायम मुकाम ने बहस में जाहिर किया कि विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार करने हेतु मौके पर नहीं गये। रास्ता टेडा मेडा कर किया गया हैं। एक कुआ था। अब कुए अलग-अलग हैं। दर्शाई नहीं हैं। पटवारी दिनांक 18/12/17 को सांय के वक्त आया। बंटवाड़ा रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावें। वकील प्रति0 वादी संख्या 01 के कायम मुकाम ने बहस में जाहिर किया कि खसरा नम्बर 294/2 प्रति0 के मकान व कुऐ बने हुये हैं। इन्हें ही दी गई हैं। खसरा नम्बर 294/4 में कुआ रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। इसलिये नहीं दर्शाया गया हैं। सड़क के पास इन्हें हिस्सा दिया गया हैं। वकील वादी संख्या 01 के कायम मुकाम बगदाराम ने बहस में जाहिर किया कि तीनों सगे भाई हैं। रावत ने बंटवाड़ा का बाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को 15 वर्ष हो चुके हैं। प्रति0 संख्या 01 द्वारा उक्त प्रकरण में आर.ए.ए. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं राजस्थान हाई कोर्ट में अपीले पेश की जो सभी खारिज हुई हैं। प्रकरण में बंटवाड़ा रिपोर्ट तीन बार आ चुकी हैं। ऐतराज गलत हैं। प्रति0 संख्या 01 के कायम मुकाम उपस्थित थे लेकिन हस्ताक्षर नहीं किये। वकील वादी ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2007 पेज 560 पेश कर निवेदन किया कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री फरमावें।

ऐतराज प्रार्थना पत्र व पत्रावली मय समस्त दस्तावेजात एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण में तीन बार बंटवाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। का भी अवलोकन किया। बहस वकुलाय एवं न्यायिक दृष्टांत पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वकील गै0सा0 संख्या 01 के कायम मुकाम द्वारा प्रस्तुत ऐतराज प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18/12/2017 को तहसीलदार जैतारण द्वारा पक्षकारान् के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कर प्रस्तुत किया गया अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 18.12.17 अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बिरोल, पटवार हल्का-बिरोल, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि मय बेरा खसरा नम्बर 294 रकबा 10-03 बीघा, खसरा नम्बर 295 रकबा 3-04 बीघा, खसरा नम्बर 301 रकबा 15-06 बीघा, खसरा नम्बर 302 रकबा 4-11 बीघा, खसरा नम्बर 305 रकबा 4-08 बीघा, खसरा नम्बर 306 रकबा 3-06 बीघा, खसरा नम्बर 307 रकबा 2-01 बीघा, खसरा नम्बर 311 रकबा 1-08 बीघा, खसरा नम्बर 315

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रकबा 0-08 बीघा, कुल किता-9 कुल रकबा 44-15 बीघा की आई हुई हैं तथा खसरा नम्बर 102 रकबा 7-15 बीघा एवं खसरा नम्बर 296 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 297 रकबा 0-18 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा गोरवा, कुल किता-2 कुल रकबा 0-19 बीघा की समस्त कुल किता-12 रकबा 53-09 बीघा किस्म चाही प्रथम एवं गै0मु0बेरा तथा खसरा नम्बर 313 रकबा 0-9 बीघा किस्म गै0मु0बेरा ढ़ीमड़ी, खसरा नम्बर 314 रकबा 0-06 बीघा किस्म गै0मु0सड़ा, कुल किता-2 कुल रकबा 0-15 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	पूनाराम मोहनलाल रतनाराम पि0 गोपाराम कौम-कुम्हार सा0 देह खातेदार।	102	2-11-00	बा0अ0	1.58 रू.
		294/1	2-00-00	चा0प्र0	8.50 रू.
		294/5	1-02-00	चा0प्र0	4.68 रू.
		311	1-08-00	चा0प्र0	5.95 रू.
		315	0-08-00	चा0प्र0	1.70 रू.
		306	1-02-00	चा0प्र0	4.68 रू.
		305	1-10-00	चा0प्र0	6.38 रू.
		307/1	0-17-00	चा0प्र0	3.61 रू.
		301/2	5-02-00	चा0प्र0	21.68 रू.
	योग	**9**	**16-00-00**		**58.76 रू.**
2	बगदाराम पुत्र रावतराम कौम-कुम्हार सा0 देह खातेदार।	102/2	2-12-00	बा0अ0	1.61 रू.
		294/3	2-00-00	चा0प्र0	8.50 रू.
		294/4	1-02-00	चा0प्र0	4.68 रू.
		302/2	2-05-00	चा0प्र0	5.95 रू.
		306/1	1-01-00	चा0प्र0	4.46 रू.
		305/1	1-09-00	चा0प्र0	6.16 रू.
		307	0-09-00	चा0प्र0	1.91 रू.
		301	5-02-00	चा0प्र0	21.67 रू.
	योग	**8**	**16-00-00**		**58.55 रू.**
3	पेमा पुत्र भेरा के कायम मुकाम राधा पत्नि पेमा के कायम मुकाम बुधाराम पुखराज पि0 पेमाराम, भंवरी पुत्री पेमाराम, झणकारी पुत्री पेमाराम कौम-कुम्हार सा0 देह खातेदार।	102/1	2-12-00	बा0अ0	1.61 रू.
		294/2	2-00-00	चा0प्र0	8.50 रू.
		294/6	1-02-00	चा0प्र0	4.68 रू.
		302	2-06-00	चा0प्र0	9.78 रू.
		306/2	1-00-00	चा0प्र0	4.25 रू.
		305/2	1-09-00	चा0प्र0	6.16 रू.
		307/2	0-09-00	चा0प्र0	1.91 रू.
		301/1	5-02-00	चा0प्र0	21.68 रू.
	योग	**8**	**16-00-00**		**58.57 रू.**
4	पूनाराम मोहनलाल रतनाराम पि0 गोपाराम कौम-कुम्हार 1/3, पेमा पुत्र भेरा के कायम मुकाम राधा पत्नि पेमा के कायम मुकाम बुधाराम पुखराज पि0 पेमाराम, भंवरी पुत्री पेमाराम, झणकारी पुत्री पेमाराम कौम-कुम्हार 1/3, बगदाराम पुत्र रावतराम कौम-कुम्हार 1/3 सा0 देह खातेदार।	295	3-04-00	चा0प्र0	13.60 रू.
		296	0-01-00	गै.मु.बेरा	
		297	0-18-00	गै.मु.बेरा	
		307/3	0-06-00	रास्ता	1.28 रू.
		306/3	0-03-00	रास्ता	0.64 रू.
		294/7	0-17-00	रास्ता	3-59 रू.
	योग	**6**	**5-09-00**		**19.11 रू.**

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खसरा नम्बर 313 रकबा 0–09 बीघा किस्म गै.मु.बेरा एवं खसरा नम्बर 314 रकबा 0–06 बीघा गै0मु0 सड़ा में वादी एवं प्रतिवादी के अलावा अन्य खातेदार भी सम्मिलित हैं तथा खसरा नम्बर 313, 314 की किस्म गै0मु0 होने से बंटवाड़ा किया जाना वांछित नहीं हैं। उक्त दोनों खसरान् शामलाती दर्ज रहेगें।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 01.02.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)